

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल परखवाड़ा शिविर सोमसीसर

अनुवान किशन लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 216.../2025

निर्णय दिनांक .....30/6/25.....

किशन लाल पुत्र खिराज राम जाति जाट निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


--:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल परखवाड़ा शिविर सोमसीसर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 21 खसरा नं. 368 तादादी 0.2023 हैक्ट., खसरा नं. 755/298 तादादी 2.1623 हैक्ट., खसरा नं. 761/363 तादादी 1.7703 हैक्ट., खसरा नं. 765/204 तादादी 0.6575 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम सोमसीसर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम किरसन दर्ज है जो कि गलत है सही नाम किशन लाल है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम किशन लाल किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 21 खसरा नं. 368 तादादी 0.2023 हैक्ट., खसरा नं. 755/298 तादादी 2.1623 हैक्ट., खसरा नं. 761/363 तादादी 1.7703 हैक्ट., खसरा नं. 765/204 तादादी 0.6575 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम किरसन Delete कर इसके स्थान पर किशन लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को कैंप कोर्ट सोमसीसर में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)